न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 15/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00200

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली		मांगीलाल पुत्र बाबुलाल जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांकः– 06.01.2022

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के उसके हक में दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव खसरा नंबरान क्रमशः 647, 648, 649 रकबा 1.73 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रेकर्ड मंगवाया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र बाबुलाल जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 13.2.2013 को ग्राम बाबागांव के खसरा नंबरान 647, 648, 649 रकबा 1.73 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 724 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमी पर आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी वर्ष 2013 में आवंटन हुई थी। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी मजदूरी हेतु बाहर चला गया और बाहर ही निवासरत है। इस कारण प्रार्थी को आदिनांक तक कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका। जिस कारण वर्तमान में मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। खसरा नं. 649 पर बाबुलाल पुत्र जसाराम मीणा का कब्जा है। खसरा नं. 647, 648 पर किसी का कब्जा नहीं है। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1–क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2073–76 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमी पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमी पर भी काश्त करनी होती है जो नही की गई है इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को कब्जा 1 माह में नही देने पर श्रीमान के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन् 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस नो इस्ट्रक्शन प्लीड करते हुए निवेदन किया कि उनके फरीकेन को उनके द्वारा लिखित में [illegible] भी उपस्थित नहीं हुए है। इस पर अप्रार्थी को बार–बार आवाजें [illegible]। बावजूद इसके अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही [illegible] में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:45:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आंवटी ने दिनांक 13.02.2013 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्र[illegible]नार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत आवेदन किया गया था उक्त आवंटन ग्राम बाबागांव पटवार हल्का बसन्त के खसरा नंबर 647, 648, 649 रकबा 1.73 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आवंटन किया गया था उक्त आराजी पर आवंटी अप्रार्थी का आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं है जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत 2073–76 से स्पष्ट है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के पत्रांक/राजस्व/2021/915 दिनांक 30.9.2021 के

क्रमशः.............. 2

जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी वर्ष 2013 में आवंटन हुई थी। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी मजदूरी हेतु बाहर चला गया और बाहर ही निवासरत है। इस कारण प्रार्थी को आदिनांक तक कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका। जिस कारण वर्तमान में मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। आवंटी को आंवटन के एक माह में कब्जा प्राप्त करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है इससे स्पष्ट है कि आवंटित आराजी पर आवंटी द्वारा कब्जा काश्त एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है तथा आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमी पर काश्त करनी होती है तथा शेष भूमी पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमी पड़त है। उपखण्ड अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 649 पर बाबुलाल पुत्र जसाराम मीणा का कब्जा है तथा खसरा नं. 647, 648 पर किसी का कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त आदिनांक तक नहीं है अतः आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है आवंटी अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र बाबुलाल जाति गाडोलिया लोहार निवासी बसन्त तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 13.02.2013 को ग्राम बाबागांव पटवार हल्का बसन्त के खसरा नंबर 647, 648, 649 रकबा 1.73 हैक्टेयर किस्म बा.सो. भूमी का आंवटन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:45:53 IST
Reason: SelfAttested